1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली सहायक नैदानिक भ्रूणविज्ञानी तथा नैदानिक भ्रूणविज्ञानी भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना:** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में स्तर.—** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं|

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.—** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं|

5. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी|

6. **शिथिल करने की शक्ति .—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी|

7. **व्यावृत्ति .—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) सहायक नैदानिक भ्रूणविज्ञानी	01*(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रुपये)	लागू नहीं होता।	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण :-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,

					नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्धाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य : **(i)** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बेचलर ऑफ मेडिसिन अथवा बेचलर ऑफ सर्जरी; अथवा **(i)** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शरीर-रचना-विज्ञान अथवा भ्रूणविज्ञान अथवा री-प्रोडक्टिव बायोलॉजी अथवा जेनिटिक्स अथवा भ्रूणविज्ञान अथवा नैदानिक भ्रूणविज्ञान अथवा सूक्ष्मजीवविज्ञान में मास्टर डिग्री। **(ii)** किसी अस्पताल अथवा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त निकाय या सांविधिक निकाय अथवा सरकार से मान्यता प्राप्त किसी निजी अस्पताल से इन-विटरो–फर्टिलाइजेशन तकनीक में एक वर्ष का अनुभव **टिप्पण 1**: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, शिथिल की जा सकती हैं| **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने	लागू नहीं होता	एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पणी:** पदधारी के एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए प्रतिनियुक्ति पर चले जाने अथवा लंबे समय से बीमार होने अथवा अध्ययन अवकाश पर चले जाने पर अथवा अन्य परिस्थितियों में होने वाली रिक्तियों को केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा जो:- (क) मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; और (ख) स्तंभ (7) में सीधे भर्ती होने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हों।

के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:** 1. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष 2. उप महानिदेशक (चिकित्सा), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य 3. निदेशक, प्रशासन एवं सतर्कता, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य	पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(2) नैदानिक भ्रूणविज्ञानी	01*(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स मे स्तर 11 (67700-208700 रुपये)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	संयुक्त पद्धति द्वारा [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के साथ प्रोन्नति]

(11)	(12)	(13)
मिश्रित पद्धति (प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के साथ प्रोन्नति): (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (56100-177500 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पाँच वर्ष की सेवा की हो, और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता तथा अनुभव रखते हों :- (i) बेचलर ऑफ मेडिसिन अथवा बेचलर ऑफ सर्जरी; या (ii) शरीर-रचना-विज्ञान या री-प्रोडक्टिव बायोलॉजी अथवा जेनिटिक्स अथवा भ्रूणविज्ञान अथवा नैदानिक भ्रूणविज्ञान अथवा सूक्ष्मजीवविज्ञान में मास्टर डिग्री।	लागू नहीं होता	पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करना आवश्यक है।

(iii) किसी अस्पताल अथवा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त निकाय या सांविधिक निकाय अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी निजी अस्पताल से इन-विटरो – फर्टिलाइजेशन तकनीक में तीन वर्ष का अनुभव **टिप्पण :-** वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (56100-177500 रुपये) में ऐसे विभागीय सहायक नैदानिक भ्रूणविज्ञानी, जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है, पर भी अन्य आवेदकों के साथ विचार किया जाएगा, और इस पद पर उनके चयनित हो जाने पर पद को पदोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा। (प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)		

[फा.सं.ए-11018/26/2015-एमएच-II]

जी.पी. सामंत, अवर सचिव

New Delhi, the 5th July, 2019

G.S.R.203.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Clinical Embryologist and Clinical Embryologist in Safdarjung Hospital of Delhi namely:-

1. Short title and Commencement.— (1) These rules may be called the Sadarjung Hospital, New Delhi, Assistant Clinical Embryologist and Clinical Embryologist, Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.— These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in the pay matrix. – The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. .— The method of recruitment age-limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification. – No person, -

(a)Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living , or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes , the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or Non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Assistant Clinical Embryologist.	01* (2019) *Subject to variation dependent upon the workload.	General Central Service, Group A Gazetted, Non-Ministerial.	Level 10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500)	Not applicable	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants up to the age of 5 years in accordance with the instructions or orders issued by Central Government). **Note:-** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential:- (i) Bachelor of Medicine or Bachelor of Surgery from any recognized University; or (ii) Master degree in Anatomy or embryology or reproductive Biology or Genetics or Embryology or Clinical Embryology or Microbiology from any recognized University. (iii) One year experience in the field of human in-vitro-fertilization techniques from a hospital or Central Government or State government or Autonomous Body or statutory Body or any private hospital recognized by Government. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the	Not applicable	One year	By direct recruitment. **Note** : Vacancy caused by the incumbent being away on deputation or long illness or Study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government :- (a) holding analogous posts on regular basis in parent cadre/Department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

case of candidates belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			

In case of recruitment by promotion / deputation/ absorption grade from which promotion /deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for consisting consideration) consisting of :-** Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare -Chairman; Deputy Director General (Medical), Directorate General of Health Services -Member; Director, Administration and Vigilance, Directorate General of Health Services -Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of the post.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Clinical Embryologist.	01* (2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700)	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Composite Method [Deputation (including short term contract) Plus Promotion.]

(11)	(12)	(13)
Composite Method [Deputation (including short term contract) plus Promotion]: A)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in Level 10 in pay matrix (Rs. 56100-177500) or equivalent in the parent cadre or department; and (B) Possessing following educational qualification and experience: (i)Bachelor of Medicine or Bachelor of Surgery; or (ii) Masters degree in Anatomy or Re-productive Biology or Genetics or Embryology or clinical Embryology or Microbiology. (iii) Three years experience in the field of human in-vitro fertilisation techniques from a Hospital of Central Government or State Government or Autonomous Body or Statutory Body or any private hospital recognized by	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up of post

Government. **Note:** The Departmental Assistant Clinical Embryologist in Level 10 of the pay matrix (Rs. 56100-177500) with five years regular service in the grade will also be considered along with the outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be treated as having been filled by promotion. (Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre posts held, immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.)		

[F.No. A-12018/26/2015-MH-II]

G. P. SAMANTA, Under Secy.

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2019

सा.का.नि.204.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली (फोरमैन) भर्ती नियम, 1977 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली (फोरमैन) भर्ती (संशोधन) नियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली (फोरमैन) भर्ती नियम, 1977 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।"

3. उक्त नियम की अनुसूची के स्तंभ 4 में, स्तंभ शीर्षक और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 6 (35,400 -1,12,400 रुपये)" ;

[फा. सं. ए-12018/22/2015-ईपीआई]

जी. के. पिल्लई, अवर सचिव